2020/00025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी

बइजलास—श्री यशपाल आहुजा (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 152/2019

प्रार्थी   बनाम   अप्रार्थी

जेतुसिंह पुत्र श्री जोधसिंह   तहसीलदार फलोदी
जाति—राजपूत
निवासी—एका भाटियान
तहसील—फलोदी
जिला—जोधपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित :—
1. श्री जेतुसिंह प्रार्थी स्वयं
2. श्री पैरोकार सरकार

निर्णय   दिनांक 8—2—2020

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं सहहिस्सेदारान की सामलाती खातेदारी अधिकारों की कृषि भूमि वाके ग्राम एका भाटियान पटवार क्षेत्र मोखेरी तहसील फलोदी में खेत खसरा नं. 88 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नं. 89 रकबा 77 बीघा 7 बिस्वा कुल रकबा 80 बीघा 5 बिस्वा के रूप में आई हुई है, उक्त भूमि में प्रार्थी को 210/1605 हिस्सा भूमि बंट में आती है, प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम जेतुसिंह पुत्र जोधासिंह है तथा इसी नाम से प्रार्थी के दस्तावेजात आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, परिवार राशन कार्ड इत्यादि बने हुए है तथा इसी नाम से प्रार्थी का बैंक खाता भी खुला हुआ है और प्रार्थी सेवानिवृत सैनिक है जिसके सर्विस रेकर्ड में भी प्रार्थी का नाम जेतुसिंह पुत्र जोधसिंह दर्ज किया हुआ है, उक्त वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम जेठूसिंह पुत्र जोधसिंह दर्ज होया हुआ है जो कि एक वाक्याती एवं मानवीय भूल है, जबकि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम जेतुसिंह पुत्र जोधसिंह है इसी नाम से प्रार्थी को जाना एवं पहचाना जाता है, उक्त वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का गलत रूप से जेठूसिंह पुत्र जोधसिंह दर्ज होने से प्रार्थी को अपनी उक्त भूमि पर कृषि विकास करवाने में

Signature Not Verified
Digitally signed by Yashpal Ahuja
Date: 2020.09.15 14:26:48 IST
Reason: SelfAttested

और राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर किसानों के लिये चलाई जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने में भयंकर असुविधाओं का सामना करना पड़ता है और कभी तो प्रार्थी को उक्त योजनाओं के लाभ से वंचित भी रहना पड़ता है. अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वर्तमान राजस्व ग्राम एका भाटियान पटवार क्षेत्र मोखेरी तहसील फलोदी में खेत खसरा नं. 88 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नं. 89 रकबा 77 बीघा 7 बिस्वा कुल रकबा 80 बीघा 5 बिस्वा भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रार्थी का गलत नाम जेठूसिंह पुत्र जोधसिंह को दुरूस्त किया जाकर प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम जेतुसिंह पुत्र जोधसिंह दुरूस्त किया जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। जिनकी ओर से श्री पैरोकार सरकार ने उपस्थित आकर राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर गुणावगुण पर निर्णय करने का निवेदन किया। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई जिन्होंनें बताया कि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम जेतुसिंह है इसी नाम से प्रार्थी के सभी दस्तावेज है और वह इसी नाम से व्यवहार में आता है, लेकिन मानवीय भूल से प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में प्रार्थी का नाम जेतुसिंह के स्थान पर जेठूसिंह गलत होया हुआ है जिसे दुरूस्त कर राजस्व रेकर्ड में जेतुसिंह दर्ज करवाने का आदेश फरमावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया बहस पर मनन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम एका भाटियान तहसील फलोदी स्थित खसरा नं. 88 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नं. 89 रकबा 77 बीघा 7 बिस्वा की प्रमाणित जमाबंदी संवत 2074 से 2077 के अवलोकन से प्रार्थी का नाम जेठूसिंह पिता जोधसिंह दर्ज है, जबकि प्रार्थी के अन्य दस्तावेज जैसे भूतपूर्व सैनिकों का पहचान पत्र, भारत सरकार का आधार कार्ड, आयकर विभाग के पैन कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता परिचय पत्र आदि में [illegible] नाम जेतुसिंह पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Yashpal Ahuja
Date: 2020.09.15 14:26:48 IST
Reason: SelfAttested

जोधसिंह दर्ज है राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम जेतुसिंह के स्थान पर जेतूसिंह गलत दर्ज होना पाया जाता है, उक्त भूल दुरूस्त की जानी न्यायोचित है उपरोक्त विचारण एवं अवलोकन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ग्राम एका भाटियान तहसील फलोदी स्थित खसरा नं. 88 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नं. 89 रकबा 77 बीघा 7 बिस्वा भूमि में प्रार्थी के गलत दर्ज नाम जेतूसिंह पुत्र जोधसिंह को दुरूस्त कर जेतुसिंह पुत्र जोधसिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी, तहसीलदार फलोदी तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करे, पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 8-2-2020 को राष्ट्रीय लोक अदालत में सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी फलोदी

Signature Not Verified

Digitally signed by Yashpal Ahuja
Date: 2020.09.15 14:26:48 IST
Reason: SelfAttested